न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 04/2014/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 कायम बेग पुत्र सिकन्दर बेग जाति मुसलमान निवासी दौलतपुरा तहसील सीकर

2 तीजूड़ी बेवा गणपतराम स्वामी जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री भागीरथमल जाखड़

निर्णय　　　　दिनांकः–17.10.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 413, 414, 415, 491, 492, 493, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 523, 600, 523/1180, 495/1229 कुल किता 19 रकबा 22.08 जो आज व्यक्ति विशेष की खातेदार में दर्ज है। सम्वत् 2012 से लेकर सम्वत् 2020 तक माफी मन्दिर बालाजी पुजारी जवाहर दास वल्द वरूतदास, गणपत वल्द नानकदास, मोतीदास फतेहदास कौम स्वामी के नाम दर्ज थी। जिनके भूमि भू प्रबन्ध के पूर्व के ख0 330/1, 330/2, 330/2 मि,223/1 मि, 223/1 मि,223/1 मि, 226, 245, 219, 220, 221, 228, 244, 367, 245, तथा इनके मिन नं0 मन्दिर के नाम खातेदारी में दर्ज थे। इस प्रकार उपरोक्त आराजी सं0 2020 तक माफी मन्दिर बालाजी के नाम दर्ज थी। मूर्ति मन्दिर Perpetual Minor होता है और नाबालिक की आराजी को किसी अन्य के नाम खातेदारी नही की जा सकती है। अन्य के नाम दर्ज खातेदारी गैर कानूनी है इसलिए गैर कानूनी तरीके से दर्ज खातेदारी को हटाकर मूर्ति मन्दिर बालाजी ग्राम दौलतपुरा के नाम दर्ज करने की कृपा करे।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की और से वकील श्री भागीरथमल जाखड़ उपस्थित आये। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। रेफरेन्स आवेदन का पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.04.1998 को निर्णय कर उपरोक्त आराजियात की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर पुनः मूर्ति मन्दिर बालाजी ग्राम दौलतपुरा के नाम दर्ज करने हेतु रेफरेन्स निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया गया था। निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में निर्णय दिनांक 27.03.2003 पारित कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि "विवादित भूमि के संदर्भ में उन दस्तावेजों को प्राप्त करे जिनसे मन्दिर की भूमि के इन्द्राज प्रथम बार किस आधार पर किस पुजारी अथवा काश्तकार के नाम खातेदारी में दर्ज हुए व इसके बाद इसी विवादित भूमि के सम्बंध में किस–किस के नाम हस्तांतरण हुए व तीजूड़ी का नाम आदि इन सबका परीक्षण कर ही यदि उचित समझें तो वे सभी आवश्यक दस्तावेज सलंग्न कर पुनः रेफरेन्स कर सकते है।"

अवलोकन किया गया। रेफरेन्स आवेदन पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इब्राहिम बेग हि0 1/2 सा. झुन्झुनू खातेदार के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 357 के द्वारा उक्त सम्पूर्ण खाता मूर्ति मन्दिर बालाजी ग्राम दौलतपुरा के नाम से दर्ज कर दी गई। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अवलोकन करने पर ग्राम दौलतपुरा के आराजी खसरा नम्बर 414 व 415 कुल किता 2 कुल रकबा 0.58 है0 की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री बालाजी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। अतः तहसीलदार सीकर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन में अंकित खसरा नम्बर की खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में मूर्ति मन्दिर श्री बालाजी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड होने से उक्त रेफरेन्स आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः रेफरेन्स आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official